Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

केदार सिह वगै0बनाम भंवर सिह वगै0

किस्म मुकदमा 223 आर टी एक्ट............अपील संख्या 31/18

GCMS NO 2025/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.25	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई। दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञ का पेश किया गया था। जिसमे अपीलांट भंवर सिह के फौत होने की सूचना प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 30.9.15 को दिये जाने पर मृतक भंवर सिह के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का 90 दिवस गुजरने के पश्चात भी पेश नही करने एवं दिनांक 13.5.16 को वादी भंवर सिह के पुत्र केदार सिह के राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त एवं 13 माह पश्चात प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश करने पर बिलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई ठोस कारण नही माना जाकर वाद वादी न0 1 भंवर सिह की हद तक उपशमन किये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है। जबकि सही तथ्य है कि वादी भंवर सिह की मृत्यु की जानकारी अधिवक्ता का नही हुई थी। यदि जानकारी होती जो आवश्यक रूप से समय पर कायम मुकाम की कार्यवाही की जाती है। मृतक के पुत्र के द्वारा दिनांक 8.11.16 को वादी के मरने की जानकारी देने पर अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 16.11.16 को प्रार्थना कायम मुकाम पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर कानूनी तरीके से खारिज कर दिया गया। वादी के मरने की जानकारी समय पर नही होने के कारण ही प्रार्थना पत्र बिलम्ब से पेश किया गया था। मृतक भंवरसिह विवादित आराजीयात मे सहखातेदार है। जिसमे उसके अधिकार निहित है। दावा अचल सम्पति से संबंधित है। इस प्रकार अपीलांट को उचित सुनवाई का अधिकार दिया जाना आवश्यक है नही तो उसके अधिकारो का हनन होगा। इस प्रकार वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियत 3 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को बतौर वादी रिकार्ड पर लिया जाकर सुनवाई करने के आदेश प्रदान किये जावे। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी मृतक भंवर सिह की कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र बिलम्ब से पेश किये जाने के कारण वादी मृतक की हद तक दावा उपशमन किया गया है। चूकि वादी मृतक विवादित आराजीयात मे सहखातेदार है। किसी प्रार्थना के आधार पर उसके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रार्थना पत्र बिलम्ब से पेश करने का कोई ठोस कारण नही होने का उल्लेख [illegible] की हद तक उपशमन किया गया है। जिससे वादी मृतक [illegible] सहखातेदारी की अचल सम्मति के अधिकारो से वंचित होना [illegible] अपीलांट अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी [illegible] किया जाता है अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ [illegible] किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक के जायज वारियान को कायम मुकाम बनाया जाकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते [illegible] निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के यहॉ दिनांक 4.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्णय सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:43:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner